04 09/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को आवाज लगाई गई। बार बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील प्रार्थी व प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी की आवेदन अ-2(1) धारा 212 राज० माल० अधिनियम अन्तर्गत अन्य वापसी आवेदन के स्वीकृति सिर्फ मात्र ही पत्रावली 17 नम्बर शुमार होकर नस्ती के तौर पर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़